उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या- 65 /2018/1309/92-2-2018-41जांच/2015
लखनऊ :: दिनांक:: 29 जून , 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के निर्माण कार्यो की अनियमितता की जांच में यह पाया गया कि निविदा डालते समय एक रजिस्टर पर निविदा डालने वाले ठेकेदार का नाम और कार्य का नाम अंकित किये जाने के निर्देश संबंधित सहायक अभियंतागण को अपचारी अधिशासी अभियंता द्वारा दिये गये थे। इस प्रकार का रजिस्टर बनाने हेतु कोई दिशा निर्देश शासन/निदेशक एवं मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा जारी नही किये गये है। इस प्रकार की कार्यवाही से निविदा की गोपनीयता भंगहोने की संभावना रहती है। अत: शासन के पत्र संख्या-30/92-2-16-41जांच/2015 दिनांक 04-03-2016 द्वारा उक्त के संबंध में श्री संजय अग्रवाल, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-10 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये उनका स्पष्टीकरण मांगा गया, जो श्री अग्रवाल के पत्र संख्या-131/ग्रा0अ0वि0/ एस0टी0/ जांच /2015-16 दिनांक 26-04-2016 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

2- श्री संजय अग्रवाल, तत्का0 अधिशासी अभियंता द्वारा उपलब्ध कराये गये अपने स्पष्टीकरण में उल्लिखित किया गया है कि उक्त रजिस्टरपर अंकन किये जाने हेतु उनके द्वारा कोई निर्देश नही दिये गये। अपचारी अधिशासी अभियंता का यह कथन सम्यक विचारोपरान्त स्वीकार योग्य नही पाया गया। अत: श्री संजय अग्रवाल, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के निर्माण कार्यो की निविदा डालते समय रजिस्टर पर निविदा डालने वाले ठेकेदार का नाम व कार्य का नाम अंकित कराके निविदा की गोपनीयता भंग किये जाने का प्रयास करने की अनियमितता हेतु उन्हें वर्ष 2016-17 के लिये परिनिन्दत किया गया।

3- शासन द्वारा दिये गये परिनिन्दा के दण्ड दिनांक 08-08-2016 के विरूद्व श्री अग्रवाल द्वारा उ0प्र0 राज्य लोक सेवा अधिकरण 1976 की धारा-4 के अंतर्गत इस आशय से निर्देश याचिका सं0-679/2017 संजय अग्रवाल बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य प्रस्तुत की गयी कि दण्डादेश दिनांक 08-08-2016 को अपास्त किया जाय तथा परिणामिक सेवा संबंधी लाभो को 18 प्रतिशत ब्याज सहित प्रदान किया जाय।

4- उक्त निर्देश याचिका में मा0 लोक सेवा अधिकरण में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजकुमार मेहरोत्रा बनाम स्टेट आफ बिहार व अन्य 2006-सुप्रीम कोर्टकेस (एल0एन0एस) पृष्ठ-679 में प्रतिपादित सिद्धान्त जो निम्नवत है :-

"No reason has been given by the respondent authority for holding that the charges were proved except for the ispe dixit of the Disciplinary authority. The order, therefore cannot be sustained and must be and is set-aside."

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उपरियुक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा याची के विरूद्व पारित दण्डादेश मुखरित व सकारण न होने के कारण दण्डादेश अपास्त होने योग्य बताया गया है।

6- मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06-11-2017 पर सम्यक विचारोपरान्त श्री संजय अग्रवाल, तत्का0 अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-मथुरा के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-43/2016/1223/92-2-16-41जांच/2015 दिनांक 08-08-2016 द्वारा वर्ष 2016-17 के लिये दिये गये परिनिन्दा के दण्ड को एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-65/2018/1309(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री संजय अग्रवाल, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-मथुरा द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।